

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक : स. 3(5)(4)स्था./अराजपत्रित/अभि./16/102-116 जयपुर, दिनांक : 03.03.2020

आदेश

प्रशासनिक कारणों से श्री अग्रज जैन, सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियोजन निदेशालय, जयपुर एवं श्री मुकेश कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी, न्यायालय न्या. ए.सी.जे. (जे.डी.)जे.एम. डीग, जिला भरतपुर को अग्रिम आदेश तक तुरन्त प्रभाव से आदेश की प्रतिक्षा में रखा जाता है।


श्री अग्रज जैन का मुख्यालय, कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर एवं श्री मुकेश कुमार का मुख्यालय कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर रहेगा।

संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।


(एस.एन. व्यास)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
2. निजी सचिव विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि), राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, न्याय/अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर/जयपुर प्रथम
5. संबंधित सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन
6. संस्थापन शाखा (राजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर